कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः—:— शिविरा/माध्य/छात्रवृति/सेल—डी/साई.वि.यो/2022—23 दिनांकः— 07.07.22

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक......

विषयः— माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 की बजट घोषणा संख्या 55 के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS)की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना की क्रियान्विति एवं प्रचार—प्रसार बाबत्।

प्रसंगः— शासन के पत्रांक प. 1(7)शिक्षा—1/साई.वि.यो/2009 पार्ट—7 जयपुर दिनांक 21.06.2022 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक पत्र के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2022—23 की बजट घोषणा संख्या 55 के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 06 से 08 तक की छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना अन्तर्गत योजना की क्रियान्विति बाबत् निर्देश प्राप्त हुए है।

राज्य में योजना के सफल क्रियान्विति हेतु आप अपने अधीनस्थ समस्त राजकीय विद्यालयों को योजना के व्यापक प्रचार—प्रसार बाबत् निर्देश जारी करें। इस क्रम में उक्त योजना को समस्त राजकीय विद्यालयों द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं के साथ ही शामिल करते हुए विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम, प्रवेशोत्सव आदि में एवं विद्यालय के सूचना—पट्ट पर योजना का वर्णन एवं देय लाभों का उल्लेख करवाने के निर्देश जारी करें जिससे कि पात्र विद्यार्थियों को जागरूक किया जाकर अधिक से अधिक विद्यार्थियों को योजना से जोड़ा जा सके।

Rajasthan Education Department

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर
बीकानेर

क्रमांकः—:— शिविरा/माध्य/छात्रवृति/सेल—डी/साई.वि.यो/2022—23 दिनांकः— 07.07.22

प्रतिलिपिः— पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. निदेशक , प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर को योजना की कियान्विति हेतु शासन का पंत्राक दिनांक 21.6.22 की प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।
3. संपादक, शिविरा अनुभाग, कार्यालय हाजा को शिविरा पत्रिका में प्रकाशन बाबत्।
4. सहायक निदेशक, योजना अनुभाग कार्यालय हाजा।
5. सहायक निदेशक, शाला दर्पण अनुभाग कार्यालय हाजा।
6. अनुभाग अधिकारी, बजट अनुभाग कार्यालय हाजा ।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
8. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार में उक्त योजना के प्रभावी प्रबोधन बाबत।
9. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार में समस्त संस्था प्रधान को योजना के दिशा—निर्देशानुसार क्रियान्विति सुनिश्चित करावें।
10. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :–शिविरा/माध्य/छात्रवृति/सेल–डी/ब.घो.55/साई0वि0यो0 /2022–23 दिनांक 07·07·22

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तिय वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा संख्या 55 के अनुसरण में आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण योजना

दिशा निर्देश

1	योजना का नाम	:आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल वितरण
2	योजना	आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं को आगे अध्ययन जारी करने हेतु घर से विद्यालय आने–जाने के लिए निःशुल्क साईकिल वितरण की जायेगी।
3	योजना के लाभार्थी	राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) कक्षा 6 से 8 तक की छात्राऐं
4	योजना से संबंधित मूल विभाग	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर
5	पात्रता	• राज्य के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के कक्षा 06 से 08 तक की छात्राओं को जिनके माता–पिता/अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 1,00000 (एक लाख रूपये) से कम हो, को वरियता के आधार पर देय होगी। • आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) की ऐसी छात्राऐं जो राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना या अन्य किसी भी साईकिल वितरण योजना के तहत लाभान्वित हो चुकी हो, इसके लिये पात्र नहीं होंगी। इसके लिये छात्राओं से इस आशय का शपथ पत्र लिया जावेगा। • प्रत्येक कक्षा में 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाली वरीयता के अनुसार चयनित छात्राएँ पात्र होगीं। • अन्तिम स्थान पर एकाधिक छात्राएँ आने पर कमशः अनिवार्य विषय अंग्रेजी व हिन्दी में अधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्रा पात्र होगी। इन दोनों विषयों में भी अंक समान होने पर जन्म तिथि के आधार पर वरीयता का निर्धारण किया जाये (जिस विधार्थी की आयु अधिक है उसे पहले वरीयता में शामिल किया जाये)

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

6.	लाभान्वितों की संख्या	• कक्षा 06 से 08 तक में अध्ययनरत लगभग 5800 छात्राओं को निम्नानुसार साइकिल वितरण किया जाएगा:– कक्षा 6 – 1933; कक्षा 7 – 1933; कक्षा 8 – 1934; योग:– 5800
7	आवेदन व चयन प्रक्रिया	• कक्षा 06 से 08 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं (EWS) से ऑनलाइन आवेदन (शाला दर्पण के माध्यम से) लिया जाएगा (प्रपत्र संलग्न)। जिसे संस्था प्रधान द्वारा सत्यापित कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक को ऑनलाइन अग्रेषित किया जाएगा। • जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा द्वारा जिले के आवेदन पत्र संकलित कर निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को अग्रेषित करेंगे। • निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर द्वारा राज्य के समस्त आवेदन पत्रों में से पात्र विद्यार्थियों का चयन कर निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से आवश्यकतानुसार राशि की मांग की जावेगी।
8	आवेदन पत्र के संलग्नक आवश्यक दस्तावेज	• छात्रा का जनआधार कार्ड। • आय प्रमाण पत्र (वर्ष 2022–23 हेतु) • आगामी वर्ष (2021–22 के पश्चात्) के लिए अंक तालिका • शपथ पत्र
9	देय लाभ	• निःशुल्क साइकिल

कक्षा	लाभान्वितों की संख्या
6	1933
7	1933
8	1934
योग:–	**5800**

संलग्नः–परिशिष्ठ 'क' ऑनलाइन आवेदन पत्र

प्रभारी अधिकारी
छात्रवृति एवं प्रोत्साहन प्रकोष्ठ
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

परिशिष्ट क

प्रपत्र

(मुख्यमंत्री EWS साइकिल वितरण योजना हेतु)

विद्यालय का नामः–	
विद्यार्थी का नाम	
वर्तमान में अध्ययनरत कक्षा	
परिवार की जन आधार आईडी. संख्या	
पिता का नाम	
माता का नाम	
आधार संख्या	
जन्म दिनांक	
लिंग	
धर्म	
पताः–	
विद्यार्थी की ईमेल आईडी.	
ग्रामीण / शहरी	
अभिभावक का आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) का प्रमाण पत्र **(प्रमाण पत्र संलग्न करें।)**	
शैक्षणिक योग्यताः–	(see below)
विद्यार्थी द्वारा क्या पूर्व में साइकिल / ट्रांसपोर्ट सुविधा प्राप्त की गई है हॉ या नहीं। यदि हॉ तो शपथ पत्र संलग्न करें।	

शैक्षणिक योग्यताः–

उत्तीर्ण कक्षा	सत्र	परिणाम (प्रति संलग्न करें)	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

(संस्था प्रधान के हस्ताक्षर मय मोहर)